सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE

अंधेरी (पूर्व), मुंबई
ANDHERI (EAST), MUMBAI.

पूरक कार्यसूची के लिए
SUPPLYMENTARY AGENDA FOR

मेसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के मल्टी प्रोडक्ट सेज़ के लिए सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SECTOR SPECIFIC SPECIAL ECONOMIC ZONE FOR MULTI PRODUCT SEZ OF M/s. JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY.

स्थल : सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीप्ज़-सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई।

VENUE : Conference Hall, 2nd Floor, The Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai.

दिनांक : शुक्रवार, 31 मई, 2024

DATE : Friday, 31st May, 2024

समय : प्रातः 11:30 बजे

TIME : 11:30 A.M.

****

शुक्रवार, दिनांक 31 मई, 2024 को विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ की अध्यक्षता में मेसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी-सेज़ के मल्टी प्रोडक्ट सेज़ के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone for Multi Product SEZ of M/s. Jawaharlal Nehru Port Authority - SEZ under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ on Friday, 31st May, 2024.

सूचकांक / INDEX

कार्यसूची मद सं. **Agenda Item No.**	विषय **Subject**
अनुपूरक कार्यसूची मद सं. 01 **Supplementary Agenda Item No. 01 : -**	कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन की स्वीकृति – मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड Approval i.r.o Change in Board of Directors of the Company – M/s. Accelerate Logistics Private Limited

****

भारत सरकार
विकास आयुक्त कार्यालय,
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई
****

<u>अनुमोदन समिति के विचारार्थ एजेंडा नोट</u>

a. प्रस्ताव :-

कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन के संबंध में अनुमोदन - मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड।

b. विशिष्ट मुद्दे जिन पर निर्णय अपेक्षित है:-

कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन का अनुरोध- मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड।

c. एसईजेड अधिनियम, 2005 एवं नियमों के प्रासंगिक प्रावधान:

मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 में कहा गया है कि : "उपर्युक्त विषय पर उनके विभाग के निर्देश संख्या 89 दिनांक 17.05.2018 और निर्देश संख्या 90 दिनांक 03.08.2018 के अधिक्रमण में और एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 10(10) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, यह अवगत कराया जाता है कि एसईजेड डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स के साथ-साथ एसईजेड इकाइयों के नाम परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय और विभाजन, संविधान में परिवर्तन, निदेशकों में परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन के मामलों में अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार होंगे।

(i) नाम में परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय और विभाजन, संविधान में परिवर्तन, निदेशकों में परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (UAC) द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि डेवलपर/सह-डेवलपर इकाई

विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनेगी और एक चालू संस्था के रूप में काम करना जारी रखेगी। डेवलपर/सह-डेवलपर/इकाई की सभी देनदारियाँ ऐसे पुनर्गठन पर अपरिवर्तित रहेंगी।

d. अन्य सूचना :

कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन का उक्त प्रस्ताव 07.02.2024 को आयोजित 49 वीं अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया, जिसमें इकाई द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उन्होंने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने सूखे मेवों के आठ कंटेनर आयात किए हैं। समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी, जेएनपीए को निर्देश दिया कि वे इकाई के परिसर का दौरा करें और उसका निरीक्षण करें तथा यूएसी द्वारा स्वीकृत स्थान से परे स्थान का लाभ उठाने के मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जवाब में, -

1. इकाई ने 30.12.2023 से अपना परिचालन प्रारंभ कर दिया है ।
2. इसके बाद, निर्दिष्ट अधिकारी, जेएनपीए ने 22.04.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-डेवलपर मेसर्स डीपी वर्ल्ड के तहत एक इकाई को यूएसी द्वारा 1000 वर्ग फीट के बजाय 100 वर्ग फीट का स्थान आवंटित किया गया था। हालांकि, इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-डेवलपर मेसर्स न्हावा के तहत एक इकाई है। शेवा बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड को यूएसी द्वारा 1000 वर्ग फुट स्थान आवंटित किया गया था।
3. इसलिए, इस कार्यालय ने दिनांक 15.05.2024 के पत्र द्वारा एसओ से पुनः जांच करने और संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
4. तदनुसार, निर्दिष्ट अधिकारी, जेएनपीए ने दिनांक 30.05.2024 के पत्र के माध्यम से संशोधित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि **मेसर्स एक्सेलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित स्थान 1000 वर्ग फुट है ।**

इकाई ने निम्नलिखित सूचना दी है । निदेशक मंडल में परिवर्तन :

i. <u>नये निदेशकों की नियुक्ति से पूर्व निदेशकों का विवरण :</u>

क्रमांक।	निदेशक का नाम	डीआईएन नं.

1.	श्री विनोद शांतिलालजी पारेख	06529752
2.	श्री प्रमोद राघवन	07634838

ii. <u>नये निदेशकों की नियुक्ति के बाद निदेशकों का विवरण</u> :

क्रमांक।	निदेशक का नाम	डीआईएन नं.
1.	श्री संदीप तानाजी शेजवाल	10297326
2.	श्री नयन रमेश ठाकुर	10297334

इसके अलावा, इकाई ने यह भी पुष्टि की है कि निदेशकों की सूची में परिवर्तन के कारण शेयरधारिता पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ई) एडीसी की सिफारिश:

निदेशक मंडल में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के निर्देश संख्या 109 दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के अनुसार विचार हेतु अनुमोदन समिति की बैठक में भेजने की अनुशंसा की जाती है।

****

श्री द्वारा तैयार हनीश राठी , एडीसी

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
ANDHERI (EAST), MUMBAI
****

AGENDA NOTE FOR CONSIDERATION OF APPROVAL COMMITTEE

a. Proposal :-

Approval w.r.t. Change in Board of Directors of the company - M/s. Accelerate Logistics Private Limited.

b. Specific Issue on which decision is required :-

Request for Change in Board of Directors of the company- M/s. Accelerate Logistics Private Limited.

c. Relevant provision of SEZ, Act, 2005 & Rules:

MOC&I Instruction No. 109 dated 18th October, 2021 states that: "In supersession of Instruction No. 89 dated 17.05.2018 and Instruction No. 90 dated 03.08.2018 of their Department on the subject cited above and in exercise of provisions of Section 10(10) of the SEZ Act, 2005, it is hereby conveyed that the guidelines for approval in the cases of reorganization including change of name, change of shareholding pattern, business transfer arrangements, court approved mergers and demergers, change of constitution, change of Directors, etc. of SEZ Developers / Co-developers as well as SEZ Units shall be as follows.

(i) Reorganization including change of name, change of shareholding pattern, business transfer arrangements, court approved mergers and demergers, change of constitution, change of Directors, etc. may be undertaken by the Unit Approval Committee (UAC) concerned subject to the condition that the Developer / Co-developer Unit shall not opt out or exit out of the Special Economic Zone and continues to operate as a going concern. All liabilities of the Developer/ Co-developer /Unit shall remain unchanged on such reorganization.

d. Other Information :

The said proposal for Change in Board of Directors of the company was placed before the 49th Approval Committee meeting held on 07.02.2024, wherein, the Committee was appraised by the Unit that they have commenced their operations. They have imported eight numbers of containers of Dry fruits. The Committee directed that the Specified Officer, JNPA to visit and inspect the premises of the Unit and submit the report on the issue of availing the space beyond the approved space by the UAC.

In response, -

5. The Unit has commenced their operation w.e.f. 30.12.2023.
6. Subsequently, the Specified Officer, JNPA has submitted the report on 22.04.2024, wherein it has been informed that M/s. Accelerate Logistics Private Limited, a unit under the Co-Developer M/s. DP World had been allotted space of 100 sq.ft instead of 1000 sq ft by the UAC. However, as per this office record, M/s. Accelerate Logistics Private Limited, a unit under the Co-Developer M/s. Nhava Sheva Business Park Pvt. Ltd. had been allotted space of 1000 sq.ft by the UAC.
7. Therefore, this office vide letter dated 15.05.2024 requested to SO to re-examine and furnish a revised inspection report.
8. Accordingly, the Specified Officer, JNPA vide letter dated 30.05.2024 submitted revised Inspection report and stated that **the allotted space to M/s. Accelerate Logistics Private Limited is 1000 Sq.ft.**

The unit has stated as under i.r.o. Change of Board of Directors :

iii. Details of directors before appointment of new directors :

Sr. No.	Name of Director	DIN No
1.	Mr. Vinod Shantilalji Parekh	06529752
2.	Mr. Pramod Raghavan	07634838

iv. Details of directors after appointment of new directors:

Sr. No.	Name of Director	DIN No
1.	Mr. Sandeep Tanaji Shejwal	10297326
2.	Mr. Nayan Ramesh Thakur	10297334

Further, the unit has also confirmed that there is no change in the Shareholding Pattern due to change in List of Directors.

e. ADC's Recommendation:

Proposal of the unit for approval of Change in Board of Directors is recommended to the Approval Committee Meeting for consideration in terms of MOC&I Instruction No. 109 dated 18th October, 2021.

****

Prepared by Shri Hanish Rathi, ADC